संख्या– /XX–4/2019–1(12)/2019

प्रेषक,

आशीष जोशी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2019

विषय– **कारागार विभाग में उपनल/आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–490/उपनल/2017, दिनांक 02–03–2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कारागार विभाग में विभिन्न सवंर्गो में कुल 21 कार्मिकों को उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)/2018, दिनांक 27–04–2018 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग में 04 फार्मासिस्ट, 01 वाहन चालक, 06 एम्बुलेंस चालक, 02 नाई एवं 02 स्वच्छकार सहित कुल 15 पदों को उपनल/आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– उक्त कार्मिको की तैनाती अवधि दिनांक 29–02–2020 अथवा नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने, जो भी पहले हो तक रहेगी।

2– उक्त कार्मिकों से रिक्त पदों के सापेक्ष कोई नियोजन नहीं किया जायेगा।

3– उक्त कार्मिकों को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वेतन/मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4– उक्त उपनल/आउटसोर्स से नियोजित व्यक्तियों द्वारा विभाग में विनियमितीकरण हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

5– फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियमित चयन/नियुक्ति हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त कार्मिकों को रखे जाने के फलस्वरूप आने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के मुख्य लेखाशीर्षक 2056–जेलें–001–निदेशन और प्रशासन की संगत मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–469/XXVII(7)/2019, दिनांक 11 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष जोशी)
प्रभारी सचिव